



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102022-239621
CG-DL-E-13102022-239621

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4646]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 12, 2022/आश्विन 20, 1944

No. 4646]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2022/ASVINA 20, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4856(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5237 (अ), दिनांक 16/12/2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में NH753L के कि.मी. 139 से कि.मी.142.12 (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पंधाना, जिला खंडवा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "25/12/2021" को "दैनिक भास्कर" और "टाइम्स ऑफ़ इण्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में NH753L के कि.मी. 139 से कि.मी. 142.12 (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पंधाना, जिला खंडवा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: खंडवा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पंधाना				
	गांव का नाम: बोरगांव बुजुर्ग				
1	1357/2	सरकारी(सड़क)	असिंचित	0.085	शासकीय (1357/2)
2	1358	निजी(कृषि)	सिंचित	0.0202	गजरीबाई बेवा फत्तु, लक्ष्मण पिता फत्तु, झोगलीबाई पुत्री उदिया , रुमास्या पिता फत्तु (1358)
3	1360/2	निजी(कृषि)	सिंचित	0.3281	गजरीबाई बेवा फत्तु, लक्ष्मण पिता फत्तु, झोगलीबाई पुत्री उदिया, रुमास्या पिता फत्तु (1360/2)
4	1526/1	निजी(कृषि)	असिंचित	0.0153	विद्याबाई पुत्री बद्रीलाल, गोपालकृष्ण पिता बद्रीलाल, गीताबाई बेवा मोहन , दीपांशु पिता मोहन , रानू पिता मोहन (1526/1)
5	1541/3	निजी(कृषि)	असिंचित	0.0058	सुरेन्द्रकोर पिता हरजीतसिंह (1541/3)
6	1543/1	सरकारी(पहाड़)	असिंचित	0.1004	शासकीय (1543/1)
7	1546	निजी(कृषि)	असिंचित	1.4041	मेसर्स अशोका वास्तु प्रा0ई0 लि0 अशोका वास्तु स्तम नि0 नासिंह महाराष्ट्र कार्यवाही संजालक अनिल गांधी पु0 शान्तीलाल जैन (1546)

8	1547	सरकारी(भू-जल)	असिंचित	0.002	शासकीय (1547)
9	1560/2	सरकारी(सड़क)	असिंचित	1.0062	शासकीय (1560/2)
			कुल	2.9671	

[फा. सं. 118/NHAI/PIU/KNW/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2022

S.O. 4856(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , number S.O 5237(E) dated the 16/12/2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH753L on the stretch of land from Km. 139 to Km. 142.12 (Office of Sub Divisional Officer Revenue, Pandhana, District Khandwa) in the district of KHANDWA in the state of MADHYA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Dainik Bhaskar**” and “**Times of India**” both dated **25/12/2021**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH753L in the stretch of land from Km. 139 to Km. 142.12 of NH753L (Office of Sub Divisional Officer Revenue, Pandhana, District Khandwa) in the district of KHANDWA in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: KHANDWA		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Pandhana				
	Village: Boregaon Bujurg				
1	1357/2	Government(Road)	Non Irrigated	0.085	Government 1357/2
2	1358	Private(Agriculture)	irrigated	0.0202	Gajribai beva Fattu, Laxman s/o Fattu, Jhoglibai putri udiya, Rumasya s/o Fattu 1358

3	1360/2	Private(Agriculture)	Irrigated	0.3281	Gajribai beva Fattu, Laxman s/o Fattu, Jhoglibai putri udiya, Rumasya s/o Fattu 1360/2
4	1526/1	Private(Agriculture)	Non Irrigated	0.0153	vidhyabai putri badrilal, Gopalkrishna S/o badrilal, Geetabai beva Mohan, Dipanshu S/o Mohan , Ranu S/o Mohan 1526/1
5	1541/3	Private(Agriculture)	Non Irrigated	0.0058	SurendraKour S/o Harjeetsingh 1541/3
6	1543/1	Government(Pahad)	Non Irrigated	0.1004	Government 1543/1
7	1546	Private(Agriculture)	Non Irrigated	1.4041	Mesars Ashoka vastu Pvt. Ltd.Ashoka vastu Stam N . Nasingh maharashtra Proceeding director Anil gandhi s/o Shantilal Jain 1546
8	1547	Government(Ground Water)	Non Irrigated	0.002	Government 1547
9	1560/2	Government(Road)	Non Irrigated	1.0062	Government 1560/2
			TOTAL	2.9671	

[F. No. 118/NHAI/PIU/KNW/3D]

RAJESH GUPTA, Director